विहंगावलोकन

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट भारत सरकार के नौ वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के लेन-देन का अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित है। रिपोर्ट में सात अध्याय हैं। अध्याय I इस रिपोर्ट को तैयार करने के उद्देश्य को स्पष्ट करने के अलावा लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली को परिभाषित करता है तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष और टिप्पणियों का भी एक सारांश प्रदान करता है। अध्याय II से VII वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन अनुसंधान केंद्रों, संस्थानों और स्वायत्त निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न विस्तृत निष्कर्ष/टिप्पणियों प्रस्तुत करते हैं।

वर्तमान रिपोर्ट में उभारे गए चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत डाला गया है:

- **अक्षम परियोजना प्रबंधन;**
- **खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियाँ;**
- **कर्मचारियों को अनियमित वित्तीय लाभ पहुँचाना; तथा**
- **कमजोर आंतरिक नियंत्रण**

इस रिपोर्ट में शामिल विशिष्ट लेखापरीक्षा निष्कर्षों का अवलोकन नीचे दिया गया है:

अक्षम परियोजना प्रबंधन

औषध एवं औषधी अनुसंधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन

औषध एवं औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम के अंन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संस्वीकृत परियोजनाओं के चयन, वित्तीय प्रबन्धन और मॉनीटरिंग में कमियों के कारण ₹ 73.68 करोड़ बकाया ऋणों और ब्याज की वसूली न होना, अन्तिम परियोजना समापन रिपोर्टों का प्राप्त न होना और परियोजनाओं से उत्पन्न परिणामों पर सूचना की कमी की परिणामी हुई। भारतीय

औषधीय उद्योग की क्षमताएं बढाने और कम लागतों पर नई औषधियां विकसित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने का उद्देश्य हासिल नहीं था।

(पैराग्राफ 3.1)

नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व सूत्रपात योजना

वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभागों के माध्यम से चयनित क्षेत्रों में भारत की विश्व नेतृत्व स्थिति बनाने, पाने और बनाए रखने के उद्देश्य से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा कार्यान्वित नई मिलेनियम भारतीय प्रोद्योगिक नेतृत्व सूत्रपात योजना ने प्रत्याशित परिणाम नहीं दिया था। लेखापरीक्षा में देखी गई परियोजनाओं में से केवल चार परियोजनाओं में से प्रोद्योगिकियाँ वाणिज्यीकृत की गई थीं। नौ औद्योगिक भागीदारों ने ₹ 64.92 करोड़ के ऋणों की चुकौती चूक की थी। अपर्याप्त मोनीटरन, योजना मार्गनिर्देशों के अनुपालन, और समय तथा लागत अधिधान के उदाहरण हुए थें।

(पैराग्राफ 4.1)

निष्क्रिय वेबसाइट के कारण निष्फल व्यय

₹ 2.27 करोड़ की लागत पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा विकसित कन्टेंट मैनेज्ड वेबसाइट फरवरी 2012 से निष्क्रिय रही, परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 6.1)

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, कोलकाता द्वारा मौसम विज्ञान-संबंधी वेधशालाओं की स्थापना एवं रखरखाव

मौसम संबंधी विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के संग्रह के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, कोलकाता द्वारा स्थापित वेधशालाओं का रखरखाव अपर्याप्त था। जनशक्ति की कमी के साथ-साथ इसका परिणाम वेधशालाओं के निष्क्रिय रहने, वेधशालाओं की निर्धारित निरीक्षणों में खामियां दोषपूर्ण उपकरणों की गैर-सुधार, केंद्र के अधीन क्षेत्रों का अपर्याप्त भौगोलिक कवरेज और मौसम संबंधी आंकड़ों के संग्रह में कमी के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ 6.2)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम 2011 का कार्यान्वयन

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में उत्पन्न/संसाधित किए जा रहे ई-अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण और ऐसे आंकडों के संग्रहण और संकलन के लिए राज्य एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप

से समन्वय नहीं किया। बोर्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक उपकरण विनिर्मित और देश में आयतित खतरनाक पदार्थों के उपयोग की कमी के लिए तंत्र लागू करने में भी विफल रहा।

(पैराग्राफ 7.1)

सीवेज उपचार की पायलट परियोजनाओं के समापन में असामान्य विलम्ब

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चार स्थानों पर सीवेज के उपचार हेतु प्रदर्शन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक योजना आरम्भ की। स्वीकृति के चार वर्षों से अधिक के बाद और ₹ 8.22 करोड़ का व्यय करने के बावजूद योजना, समन्वय और निगरानी की कमी के कारण चार स्थानों में से किसी पर भी सीवेज उपचार आरम्भ नहीं हो सका ।

(पैराग्राफ 7.2)

खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियां

भूमि के खराब प्रबंधन के कारण परिहार्य व्यय और कार्यालय परिसर का विलम्बित निर्माण

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) से भूमि प्राप्त करने के संबंध में पट्टा पत्रक निष्पादित करने में 21 वर्ष का विलम्ब किया और स्वीकार्य समयावधि के अंदर कार्यालय परिसर का निर्माण पूरा करने में विफल हो गया। फलस्वरूप इसने निर्माण के समापन तक शास्तियों के प्रति आवर्ती देयताओं के अतिरिक्त ₹ 1.81 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैराग्राफ 3.2)

कर्मचारियों को दिया गया अनियमित वित्तीय लाभ

समूह प्रोत्साहन योजना से संबंधित प्रदर्शन का कार्यान्वयन

परमाणु ऊर्जा विभाग ने मई 2009 में प्रदर्शन संबंधित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत समूह प्रोत्साहन शुरू किया। योजना के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण परमाणु ऊर्जा विभाग. की तीन इकाईयों, जिसमें 2010-14 के दौरान ₹ 32.19 करोड़ के समूह प्रोत्साहन का भुगतान हुआ, किया गया। यह पाया गया कि लक्ष्यों में छूट, उपलब्धियों का अतिश्योक्ति तथा प्रदर्शन का अनुपयुक्त आकलन जैसे उदाहरण उजागर हुए जिसने न केवल उच्च प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार के उद्देश्य को नष्ट किया अपितु परिणामस्वरूप प्रोत्साहन का अनियमित भुगतान होना भी परिणाम हुआ।

(पैराग्राफ 2.1)

पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नतियों की अनियमित मंजूरी

भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् वैज्ञानिक भर्ती एवं पदोन्नति निर्धारण नियम 2001 में पूर्व प्रभावी पदोन्नति के प्रावधान शामिल थे। परिणामस्वरूप इसकी चार प्रयोगशालाओं, जिनकी नमूना जांच की गई, ने लचीली प्रतिपूरक योजना के अंतर्गत पूर्वव्यापी प्रभाव से 256 वैज्ञानिक पदोन्नत किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.81 करोड़ का अनियमित लाभ हुआ।

(पैराग्राफ 4.2)

प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यान्वयन

भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम के नीति ढाँचे में अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और उसके केन्द्रों के कर्मचारियों को विभिन्न पुरस्कार और प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। भारत सरकार ने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर व्यक्तिगत/समूह निष्पादन के लिए निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (प्रिस) अनुमोदित की। डी.ओ.एस. ने सभी कर्मचारियों के लिए प्रिस लागू की और अन्य विशेष भत्तों को अतिरिक्त रूप से देना जारी रखा परिणामस्वरूप इसके कर्मचारियों को बहुविध लाभ हुए। प्रिस के लिए एक संरचनाबद्ध निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित नहीं किया गया। प्रिस देने में डी.ओ.एस. मार्गनिर्देशों के उल्लंघन के उदाहरण थे।

(पैराग्राफ 5.1)

कमजोर आंतरिक नियंत्रण

सेवा कर का अनियमित भुगतान

मास्टर कंट्रोल फेसिलिटि, हासन ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा दी गई सुरक्षा सेवाओं की लागत पर सेवा कर के प्रति जुलाई 2012 से जून 2014 तक की अवधि के दौरान ₹ 1.33 करोड़ का भुगतान किया, जो नियमों के अंतर्गत अपेक्षित नहीं था। इसमें से ₹ 44.68 लाख का प्रतिदाय लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाए जाने के बाद निश्चित किया गया। शेष ₹ 88.05 लाख की राशि जब्त हो गई क्योंकि यह कालबाधित हो गई।

(पैराग्राफ 5.2)

विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान

क्षेत्रीय दूरस्थ संवेदी केन्द्र-पूर्व, कोलकाता ने विद्युत प्रभारों के भुगतान के प्रति ₹ 55.37 लाख का परिहार्य व्यय किया।

(पैराग्राफ 5.3)